



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2016

पौष 6, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1867/79-वि-1-16-1(क)36-2016

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016, पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत इक्यूमेनिकल माइनारिटी क्रिश्चियन सोसाइटी अर्थात् सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007 द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद को उच्चीकृत एवं पुनर्गठित करने की दृष्टि से एक अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा निगमित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

- (क) “विद्या परिषद” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद से है;
- (ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य कुलाधिपति के मामले में संस्थापक सोसाइटी, कुलपति और प्रति कुलपतियों के मामले में कुलाधिपति और कुलसचिव, निदेशकों, वित्त नियंत्रक तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के मामले में कुलपति से है;
- (ग) “सहयुक्त महाविद्यालय” का तात्पर्य उक्त विश्वविद्यालय की किसी डिग्री हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी संस्था से है;
- (घ) “संघ” का तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ से है;
- (ङ) “प्रबन्ध-बोर्ड” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-बोर्ड से है;
- (च) “पाठ्य-बोर्ड” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य-बोर्ड से है;
- (छ) “परिसर” का तात्पर्य अनुदेश या शोध अथवा दोनों का प्रबंधन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;
- (ज) ‘कुलाधिपति’, ‘कुलपति’, ‘प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)’, ‘प्रति कुलपति (प्रशासन)’ और ‘कुलसचिव’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन) और कुलसचिव से है;
- (झ) “महाविद्यालय/विद्यालय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषाधिकारों के निमित्त अनुरक्षित या प्रवेश प्राप्त किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था से है, जिसमें सहयुक्त/घटक महाविद्यालय सम्मिलित हैं;
- (ञ) “घटक महाविद्यालय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित और परिनियमावली द्वारा इस रूप में नामित किसी संस्था से है;
- (ट) “परिषद” का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा और भारतीय परिचर्या परिषद से है;
- (ठ) “मानित विश्वविद्यालय” का तात्पर्य सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी, विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इलाहाबाद से है, जिसे मानित विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है।
- (ड) “विभाग” का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं।
- (ढ) विश्वविद्यालय के किसी संस्थान के सम्बंध में “निदेशक” का तात्पर्य ऐसे संस्थान के अध्यक्ष से है।
- (ण) “निदेशालय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विभिन्न निदेशालयों से है जिनके अध्यक्ष सम्बन्धित निदेशकगण हैं।
- (त) “कर्मचारी” का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।
- (थ) “संकाय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;
- (द) “वित्त नियंत्रक” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है;
- (ध) “संस्थापक सोसाइटी” का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिगिनबॉटम हाऊस, 4 एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से है जो विश्वविद्यालय के कार्यों सहित सोसाइटी के समस्त क्रियाकलापों का प्रबंध करने वाला शीर्ष निकाय है।

- (न) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
- (प) "हॉल" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासीय या सामुदायिक जीवन की इकाई से है;
- (फ) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;
- (ब) किसी महाविद्यालय या संस्था के सम्बंध में "प्रबंध समिति" का तात्पर्य ऐसी प्रबंध समिति या ऐसे किसी अन्य निकाय, जिसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, से है और जिसे यथास्थिति ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कार्यों के प्रबंधन हेतु प्रभारित किया गया हो और वह इस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
- (भ) "अवचार" का तात्पर्य ऐसे अवचार से है जैसा कि विहित किया जाय।
- (म) "अधिसूचना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;
- (य) "विहित" का तात्पर्य परिणियमावली द्वारा विहित से है;
- (क.क) "प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधान से है और जिसमें तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित है और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य से है;
- (क.ख) "अभिलेख और प्रकाशन" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;
- (क.ग) "कुलसचिव" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;
- (क.घ) "सीनेट" का तात्पर्य संस्थापक सोसाइटी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के सीनेट से है;
- (क.ङ) "परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली से है;
- (क.च) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के अधीन किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या सम्यक रूप से संस्थित अन्य शैक्षणिक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किसी व्यक्ति से है;
- (क.छ) "अध्यापक" का तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने अथवा अनुसंधान या प्रसार कार्यक्रम संचालित करने और तत्सम्बंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से है;
- (क.ज) "कोषाध्यक्ष", का तात्पर्य सोसाइटी/ विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष से है;
- (क.झ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से है;
- (क.ञ) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे।

3-(1) उस दिनांक से, जिस दिनांक को राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन), कुलसचिव, वित्त निबंधक, संस्थापक सोसाइटी, सीनेट, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद और ऐसे समस्त व्यक्ति या समिति जिन्हें ऐसे कार्यालयों में नियुक्त किया जाय अथवा ऐसे सदस्य जब तक वे अपना पद या सदस्यता धारण करें, सम्मिलित होंगे;

विश्वविद्यालय

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इस रूप में कार्य करने से प्रविरत हो जायेगा और उक्त मानित विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ एवं देनदारियाँ विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित माने जायेंगे।

(4) संस्थापक सोसाइटी ने मानित विश्वविद्यालय के लिए 667.27 एकड़ भूमि और पर्याप्त मात्रा में निर्मित भवन आवंटित किया है और ये सभी मानित विश्वविद्यालय के कब्जाधीन हैं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर विश्वविद्यालय को अंतरित माने जायेंगे, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित है।

विश्वविद्यालय की
अधिकारिता

4-(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित के सिवाय या अन्यथा अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्रिश्चियन अल्पसंख्यक संस्था को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्बद्ध करने की शक्ति सहित क्षेत्रीय सीमा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

(2) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर स्थित किसी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः सम्बद्ध नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय द्वारा केवल उसी महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी जो परिनियमावली एवं अध्यादेशों द्वारा सहगत हो।

(3) विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से सुसंगत उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपना शैक्षणिक केन्द्र/परिसर/विदेशी परिसर सम्बंधित सरकार, जहाँ वह स्थित हो, की सहमति से स्थापित कर सकता है।

विश्वविद्यालय की
स्थापना के लिए
शर्तें

5-(1) ऐसे किन्हीं आदेशों, जैसा कि प्रबंध बोर्ड द्वारा संस्थापक सोसाइटी के अनुमोदन से किया जाय, के अधीन संस्थापक सोसाइटी से सम्बंधित भवनों को उसी नाम और अभिनाम से निरन्तर जाना जायेगा और अभिहित किया जायेगा जैसा कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व जाने जाते थे और अभिहित किये जाते थे;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर और प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रत्येक पदाधिकारी— कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन), कुलसचिव, निदेशकगण, वित्त नियंत्रक, तथा अन्य अधिकारी, अध्यापक एवं कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियोजित थे, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में उसी सेवाधृति के साथ और उसी निबंधन और शर्तों पर तथा उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ नियोजित रहेंगे जैसा वे सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) में नियोजित थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा प्रदान किये जा रहे समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम इस अधिनियम के अधीन यथावत जारी रहेंगे।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा प्रवेश परीक्षा संवाहन या कोई उपाधि या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान किये जाने सहित कृत किसी कार्य या कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी या प्रदत्त माना जायेगा मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त रहा हो।

विश्वविद्यालय का
आरम्भ

6-(1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को आरम्भ / निगमित किये जाने सम्बंधी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। इस प्रकार की अधिसूचना पर विश्वविद्यालय को मानित विश्वविद्यालय की प्रास्थिति की मान्यता वापस लेने के लिए सम्बंधित प्राधिकरण को आवेदन करना होगा।

(2) राज्य सरकार इस संबंध में विश्वविद्यालय के आरम्भ/निगमन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, परिषदों, संघों एवं सभी सम्बन्धित सांविधिक निकाय, सरकार एवं संगठनों को परिपत्र जारी करेगी;

7-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे;

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(एक) उत्तर प्रदेश के समग्ररूप में ग्रामीण और आम जनता के लिए विभिन्न अध्ययन शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, पशु चिकित्सा, ग्रामीण उद्योग, व्यापार और अन्य सम्बद्ध शाखाओं में अध्ययन करने तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उपबंध करना;

(दो) समाज के समग्र विकास हेतु विशेष रूप से कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, क्रिश्चियन धर्मविद्या के माध्यम से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सम्बंधी सुसंगत शाखाओं में अध्यापन तथा अनुसंधान के सम्वर्द्धन को अग्रसार करना;

(तीन) क्षेत्रीय एवं प्रसार कार्यक्रमों का दायित्व ग्रहण करना;

(चार) दूरस्थ शिक्षा/सतत शिक्षा/ ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षा में नवपरिवर्तन करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन और ज्ञानार्जन की नवीन पद्धतियाँ और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(पाँच) विभिन्न नवीन शाखाओं में अध्ययन संचालित करना;

(छः) संस्थापक के दर्शन "भूखे को भोजन और पृथ्वी की सेवा" के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन और निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के सम्वर्द्धन के लिए अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम संचालित करना;

(सात) अंतर्शाखा — अध्ययन संचालित करना और विद्या की ऐसी शाखाओं जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, अनुसंधान और प्रसार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करके ज्ञान का प्रसार और सम्वर्द्धन करना;

(आठ) राष्ट्रीय एकीकरण, भारतीय संस्कृति एवं भाषा और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना;

(नौ) समस्त आधुनिक, उच्च, व्यावसायिक, धार्मिक और अध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हुए क्रिश्चियन समुदाय को मुख्य धारा में लाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना;

8-(1) विश्वविद्यालय, इस धारा के उपखण्ड-2 के उपबंधों के अधीन ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए होगा वे चाहे वंश, धर्म, मत, जाति या वर्ग के हों;

विश्वविद्यालय सबके लिए होगा

(2) इस धारा में निहित कोई बात क्रिश्चियन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश तथा प्रशासन के लिए कोई विशेष उपबंध/आरक्षण की व्यवस्था करने से विश्वविद्यालय को नहीं रोकेंगा जो 50 प्रतिशत से अनधिक हो।

9-विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होगी :-

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(एक) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन की ऐसी शाखाओं में ऐसे अनुदेश का उपबंधन करना जैसा कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे और अनुसंधान और ज्ञान तथा कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार का उपबंध करना;

(दो) कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार, विज्ञान, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी और सुसंगत सम्बद्ध शाखाओं के अलावा, अन्य शिक्षण शाखाओं में नया शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से अनापत्ति प्राप्त करना होगा और सम्बन्धित सांविधिक परिषदों की यथाप्रयोज्य अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(तीन) भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

(चार) क्रिश्चियन धर्म अध्ययन की व्यवस्था करने, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र और धर्म में अनुदेश देने और नैतिक तथा अध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में क्रिश्चियन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समुन्नति को प्रोत्साहित करना;

(पांच) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियाँ/अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(छः) परिनियमावली द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टियाँ प्रदान करना;

(सात) प्रौढ़ शिक्षा के प्रोन्नयन हेतु निवेश-वाह्य अध्ययन तथा प्रसार सेवायें आयोजित करना और उनका दायित्व ग्रहण करना और अन्य उपाय करना;

(आठ) दूरस्थ शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित अनुदेश का उपबन्ध करना;

(नौ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षण संस्था से, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना या सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(दस) अनुसंधान एवं परामर्श के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ग्यारह) किसी संस्था में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को अनुदेश देने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों के लिए विश्वविद्यालय को सहयोग देने उसके साथ कार्य करने या उससे सहयुक्त होने में अनुमोदन प्रदान करना और ऐसे अनुमोदन को वापस लेना;

(बारह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर पदों और अनुसंधान तथा प्रसार सम्बंधी पदों का सृजन करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य, प्राध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(चौदह) अभ्यागत प्राचार्य/वैज्ञानिक एवं सलाहकार के रूप में व्यक्तियों की उन निबंधनों पर नियुक्ति करना जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे।

(पन्द्रह) शैक्षणिक कृत्य करने के उद्देश्य से शैक्षणिक निकाय का गठन करना या नवीन शैक्षणिक संकायों की स्थापना करना और उन्हें यथा विहित रीति पारिश्रमिक संदाय करना।

(सोलह) निम्नलिखित पदधारकों की सेवाओं की निबंधन एवं शर्तों का उपबन्ध करना :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकगण और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ख) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ग) विश्वविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारी;

(सत्रह) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नियमित आधार पर विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करना;

(अट्ठारह) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक और पारितोषिक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(उन्नीस) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(बीस) परिनियमावली के अनुसार यथारिथति किसी संस्था, किसी महाविद्यालय, किसी विभाग या किसी विद्यालय को केन्द्र या स्वशासी केन्द्र घोषित करना;

(इक्कीस) सहयुक्तता के स्तर पर और सहयुक्तता की अवधि में महाविद्यालय तथा संस्थाओं में नियमित अंतराल पर अभ्यागत सगितियाँ भेजने की व्यवस्था करना;

(बाईस) एक ही तथा समान क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करना;

(तेईस) केन्द्रीय सुविधाएं यथा - कम्प्यूटर केन्द्र, लिखतकरण केन्द्र, पुस्तकालय इत्यादि की स्थापना करना;

(चौबीस) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापित करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारित करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु ऐसे मानक अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या कोई अन्य परीक्षण पद्धति सम्मिलित हो सकती हैं;

(सत्ताईस) शुल्क एवं अन्य प्रभारों की मांग करना एवं उनका भुगतान प्राप्त करना;

(अट्ठाईस) आवासीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों का अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के सम्बर्द्धन की व्यवस्था करना;

(उन्तीस) सभी महिला छात्राओं एवं क्रिश्चियन समुदाय की छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।

(तीस) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पदों पर नियुक्ति करना;

(इक्तीस) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित एवं प्रवर्तित करना तथा इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि उचित समझा जाय।

(तैतीस) सहयुक्त महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु आचरण संहिता विहित करना और सहयुक्तता हेतु समझौता ज्ञापन करना;

(चौतीस) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए प्रबंध करना;

(पैतीस) ऐसे व्यक्तियों से उपकृति, दान एवं उपहार प्राप्त करना तथा उनके नाम पर ऐसे पीठों, संस्थाओं, भवनों तथा तत्समान अन्य जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, का सृजन करना जिनका विश्वविद्यालय के प्रति उपहार या दान ऐसी धनराशि के बराबर होगी जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चित करे;

(छत्तीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु संस्थापक सोसाइटी/सीनेट की पूर्वानुमति से विन्यास सम्पत्तियों सहित चल एवं अवल सम्पत्ति प्राप्त करना, धारित करना और उसका प्रबंध करना;

(सैतीस) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सीनेट एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से धन उधार लेना;

(अड़तीस) छात्रों को पूरक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के उपायों को प्रारम्भ करना;

(उनतालीस) "दूरस्थ शिक्षा" एवं मुक्त उपागम के माध्यम से अनुदेश के लिए और अनौपचारिक (मुक्त शिक्षा) शाखा से औपचारिक शाखा की ओर तथा औपचारिक से अनौपचारिक शाखा की ओर गतिशील करने के लिए उपबंध करना ;

(चालीस) अध्यापकों हेतु आचार संहिता, अन्य कर्मचारियों हेतु आचरण संहिता एवं छात्रों हेतु अनुशासन संहिता विहित करना; और

(इक्तालीस) विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे समस्त कार्य और बात करना, जो आवश्यक आनुषंगिक या संचालनीय हो;

कुलाध्यक्ष

10—(एक) विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राज्यपाल होंगे;

(दो) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों (या किसी भी महाविद्यालय का) और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और उसके द्वारा कृत अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(तीन) कुलाध्यक्ष निरीक्षण कराये जाने हेतु अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को दे सकता है और विश्वविद्यालय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा जिसे इस प्रकार के निरीक्षण में उपस्थित रहने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(चार) कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगा और कुलपति तत्सम्बंध में कार्यवाही किये जाने हेतु कुलाध्यक्ष के दृष्टिकोण से प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगा।

(पांच) प्रबंध बोर्ड कृत कार्यवाही के सम्बंध में कुलाध्यक्ष को कुलपति के माध्यम से संसूचित करेगा।

(छः) यदि प्रबंध बोर्ड को कुलाध्यक्ष के किसी विनिश्चय के सम्बंध में असहमति हो तो वह समीक्षा हेतु कुलाध्यक्ष को अपील करेगा और समीक्षा अपील पर कुलाध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होगा।

(सात) जहाँ कुलाध्यक्ष को प्राधिकरणों में व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किये जाने की शक्ति कुलपति को प्रदान की गयी हो, वहाँ कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिये विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट करना होगा तथा विभिन्न समितियों में कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितियों को बैठक के परिणाम के सम्बंध में कुलाध्यक्ष को सूचित करना होगा।

11—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

विश्वविद्यालय के
अधिकारी

- (क) कुलाध्यक्ष
- (ख) कुलाधिपति
- (ग) कुलपति
- (घ) कोषाध्यक्ष
- (ङ.) प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)
- (च) प्रति कुलपति (प्रशासन)
- (छ) कुलसचिव
- (ज) निदेशक (अनुसंधान)
- (झ) निदेशक (प्रसार)
- (ञ) निदेशक (अधिष्ठान एवं संपदा)
- (ट) निदेशक (आंतरिक गुणवत्ता, निर्धारण एवं आश्वासन)
- (ठ) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श कार्य)
- (ड) निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण)
- (ढ) निदेशक (सहायक इकाई)
- (ण) निदेशक (पौरोहित्य, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्य)
- (त) निदेशक (विधि मामले)
- (थ) निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)
- (द) निदेशक (विकास)
- (ध) निदेशक (मानव संसाधन प्रबंध एवं सम्पर्क)
- (न) निदेशक (प्रशासन)

(प) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)

(फ) निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र)

(ब) निदेशक (कैम्पस मिनिस्ट्री)

(भ) वित्त नियंत्रक

(ग) ऐसा अन्य अधिकारी जिसे परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाय।

12—(एक) कुलाधिपति की नियुक्ति, संस्थापक सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के गृह्य से की जायेगी, जो अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा/होगी, तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा/करेगी और परिनियमावली द्वारा यथा विहित कृत्यों का निष्पादन करेगा/करेगी। कुलाधिपति पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा/करेगी और उसे संस्थापक सोसाइटी द्वारा दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा संस्थापक सोसाइटी/सीनेट को कुलाधिपति को संदत्त किये जाने वाले मानदेय/भत्तों का विनिश्चय करना होगा।

कुलाधिपति

(दो) जहाँ कुलाधिपति को प्राधिकरणों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई हो वहाँ कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगा। कुलाधिपति समय-समय पर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करेंगे। विभिन्न समितियों में कुलाधिपति के नामनिर्देशिती, क्रमिक रूप में बैठकों के पश्चात अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।

13—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा/होगी और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी। कुलपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सीनेट की संस्तुति पर प्रतिमानों के अनुसार यथाशक्य अनुमन्य आयु की अग्रतर अवधि तक के लिए नवीकरणीय होगा। सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र/ अस्वरथता/ अवकाश या अन्य किसी कारण से कुलपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा प्राधिकृत प्रतिकुलपति उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करेगा।

कुलपति

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय हो कि किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित हो तो वह परिनियमावली, नियमावली, विनियमावली/उपविधियों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है/सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकता/सकती है या ऐसी कार्यवाही करने के लिए अग्रतर हो सकता है/सकती है। ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से संबंधित प्राधिकारी को अवगत करायेगा/करायेगी :

परन्तु यदि उपधारा (3) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका तत्संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कुलपति प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, विश्वविद्यालय वित्त समिति, नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड या अन्य किन्हीं उल्लिखित या अनुल्लिखित समितियों का अध्यक्ष होगा।

(5) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के परिनियमावली, अध्यादेशों, नियमों, उपविधियों और विनियमावली का सम्यक रूप से सम्प्रेक्षण किया जाय और लागू किया जाय और उसे इस संबंध में समस्त शक्तियाँ होंगी।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय अथवा अध्यादेशों में अधिकथित किया जाय।

14—(1) एतदधीन यथा उल्लिखित रूप में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कुलपति की संस्तुति पर की जायेगी और वे कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जाने वाले निम्नलिखित विषयों में कुलपति की सहायता करेंगे :—

प्रतिकुलपति

(क) प्रतिकुलपति (शैक्षणिक कार्य)

(ख) प्रतिकुलपति (प्रशासन)

	(2) प्रतिकुलपतियों की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि सीनेट द्वारा विनिश्चित किया जाय।
कुल सचिव	15—(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और जिसकी नियुक्ति सीनेट के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी; तथापि कुलपति अंतरिम अवधि के लिए किसी पूर्णकालिक अध्यापक को कुलसचिव के रूप में भी नियुक्ति कर सकता है। व्यवसायिक विश्वविद्यालय होने के कारण, कुलसचिव का चयन प्रख्यात शिक्षाविदों/विद्याविदों में से किया जायेगा जो सह आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो। (2) कुलसचिव की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय। (3) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अगिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।
विश्वविद्यालय के निदेशक	16—(1) चूंकि विश्वविद्यालय के त्रिस्तरीय कार्य हैं, अर्थात् अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार इसलिये विश्वविद्यालय में निदेशकगण होंगे जो विश्वविद्यालय के सुगम कार्य संवाहन में विशेष रूप से अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में कुलपति की सहायता करेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन में कुलपति की सहायता करने हेतु निदेशक, दूरस्थ शिक्षा एवं अन्य निदेशकगण भी होंगे। निदेशकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी। (2) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि परिनियमावली, विनियमावली द्वारा विहित किया जाय।
वित्त नियंत्रक	17—वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा सीनेट के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और वह कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। वित्त नियंत्रक :— (क) विश्वविद्यालय के वित्त व्यवस्था का प्रबंध करेगा; (ख) कोषाध्यक्ष, वित्त समिति एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट, अनुमान एवं विवरण तैयार करेगा; (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कुलपति द्वारा उसे सगनुदेशित किया जाय।
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	18—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :— (एक) सीनेट; (दो) प्रबंध बोर्ड; (तीन) विद्या परिषद; (चार) विश्वविद्यालय की वित्त समिति; (पाँच) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड; (छः) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाय;
सीनेट	19—(1) विश्वविद्यालय की एक सीनेट गठित की जायेगी, उक्त सीनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे :— (एक) चेयरमैन, सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद — अध्यक्ष (दो) कुलाधिपति, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय — उपाध्यक्ष (तीन) कुलपति, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय — सदस्य सचिव

(चार)	अध्यक्ष/बिशप या उसका नामनिर्देशिती, यीशु दरबार चर्च, इलाहाबाद	—	सदस्य
(पाँच)	उपाध्यक्ष, यीशु दरबार ट्रस्ट	—	सदस्य
(छः)	उपाध्यक्ष, सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	—	सदस्य
(सात)	कार्यकारी सचिव, सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	—	सदस्य
(आठ)	कोषाध्यक्ष, सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	—	सदस्य
(नौ)	महासचिव, यीशु दरबार चर्च	—	सदस्य
(दस)	कोषाध्यक्ष, यीशु दरबार चर्च	—	सदस्य
(ग्यारह)	अध्यक्ष, यीशु दरबार चर्च का एक नाम निर्देशिती	—	सदस्य
(बारह)	अध्यक्ष, सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी के दो नामनिर्देशिती	—	सदस्य
(तेरह)	कुलाधिपति के दो नामनिर्देशिती	—	सदस्य

(2) विश्वविद्यालय प्रबन्धन की समस्त शक्तियाँ सीनेट में निहित होंगी और कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं अन्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसी नियुक्ति के लिए सीनेट, मानदेय/वेतन आदि के सम्बंध में विनिश्चय करेगा।

20—(1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

प्रबंध बोर्ड

प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगी :—

(एक)	कुलपति	—	अध्यक्ष
(दो)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती	—	सदस्य
(तीन)	सोसाइटी/विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष	—	सदस्य
(चार)	प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	—	सदस्य
(पाँच)	प्रति कुलपति (प्रशासन)	—	सदस्य
(छः)	कुलसचिव	—	सदस्य सचिव
(सात)	एक वर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी एक संकाय का संकायाध्यक्ष (जिसमें संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण सम्मिलित है)	—	सदस्य
(आठ)	विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दो नामनिर्देशिती	—	सदस्यगण
(नौ)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती	—	सदस्य
(दस)	भारत सरकार / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नामनिर्देशिती	—	सदस्य
(ग्यारह)	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती	—	सदस्य
(बारह)	वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती	—	सदस्य
(तेरह)	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद या नामनिर्देशिती	—	सदस्य

(चौदह)	कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर आचार्यों के मध्य से नाम निर्देशित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि	—	सदस्य
(पन्द्रह)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिनी	—	सदस्य
(सोलह)	सीनेट के दो नामनिर्देशिनी	—	सदस्यगण
(सत्रह)	सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसाइटी के तीन नामनिर्देशिनी	—	सदस्यगण
(अठारह)	यीशु दरबार चर्च के दो प्रतिनिधि	—	सदस्यगण
(उन्नीस)	निदेशक (अनुसंधान)	—	पदेन सदस्य
(बीस)	निदेशक (प्रसार)	—	पदेन सदस्य
(इक्कीस)	निदेशक (एच0आर0एम0 एण्ड आर0)	—	पदेन सदस्य
(बाईस)	निदेशक (विश्वविद्यालय विकास)	—	पदेन सदस्य
(तेईस)	निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबंधन)	—	पदेन सदस्य
(चौबीस)	निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	—	पदेन सदस्य
(पच्चीस)	निदेशक (प्रशासन)	—	पदेन सदस्य
(छब्बीस)	वित्त नियंत्रक	—	पदेन सदस्य
(सत्ताईस)	कुलपति द्वारा वर्षानुवर्ष के आधार पर शेष निदेशकों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक निदेशक	—	पदेन सदस्य

(2) प्रबंध बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

विद्या परिषद

21—(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों का प्रभारी होगी और वह परिणियमावली एवं इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये और उपाधि तथा डिप्लोमा प्राप्त करने की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखेगी और तत्सम्बंधी विनियमन के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगी जैसा कि परिणियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय या सौंपा जाय।

(2) विद्या परिषद निम्नानुसार गठित होगी :-

(एक)	कुलपति	—	अध्यक्ष
(दो)	प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	—	सदस्य
(तीन)	प्रति कुलपति (प्रशासन)	—	सदस्य
(चार)	कुलसचिव	—	सचिव
(पाँच)	निदेशक (अनुसंधान)	—	सदस्य
(छः)	निदेशक (प्रसार)	—	सदस्य
(सात)	निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)	—	सदस्य
(आठ)	निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	—	सदस्य
(नौ)	निदेशक (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)	—	सदस्य
(दस)	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का एक नामनिर्देशिनी	—	सदस्य
(ग्यारह)	परिसरों के निदेशक	—	सदस्यगण
(बारह)	सकायों के संकायाध्यक्ष, विद्यालय/महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष	—	सदस्यगण

(तेरह)	विभागाध्यक्ष	—	सदस्यगण
(चौदह)	प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय से एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर विभागाध्यक्षों से भिन्न एक आचार्य और एक सह आचार्य	—	सदस्यगण
(पन्द्रह)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित तीन विशेषज्ञ	—	सदस्यगण
(सोलह)	विद्या परिषद द्वारा सहयोजित तीन सदस्य जो विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारीवृन्द के सदस्य न हों	—	सदस्यगण
(सत्रह)	परीक्षा नियंत्रक	—	सदस्य

(3) विद्या परिषद का गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

22—(1) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ एवं उसके कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय। वित्त समिति

(2) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(1)	कुलपति	—	अध्यक्ष
(2)	सोसाइटी/विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष	—	सदस्य
			सचिव
(3)	प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	—	सदस्य
(4)	प्रति कुलपति (प्रशासन)	—	सदस्य
(5)	कुलसचिव	—	सदस्य
(6)	निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)	—	सदस्य
(7)	वित्त नियंत्रक	—	सदस्य
(8)	उप वित्त नियंत्रक	—	सदस्यगण
(9)	सीनेट द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य	—	सदस्यगण
(10)	निदेशक (विश्वविद्यालय विकास)	—	पदेन सदस्य
(11)	निदेशक (अनुसंधान)	—	पदेन सदस्य
(12)	निदेशक (प्रसार)	—	पदेन सदस्य
(13)	निदेशक (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)	—	पदेन सदस्य
(14)	निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	—	पदेन सदस्य
(15)	निदेशक (प्रशासन)	—	पदेन सदस्य
(16)	कुलपति द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्देशित किया जाने वाला एक निदेशक	—	पदेन सदस्य
(17)	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती	—	पदेन सदस्य
(18)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, (भारत सरकार) का एक प्रतिनिधि	—	पदेन सदस्य
(19)	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ	—	पदेन सदस्य
(20)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ	—	पदेन सदस्य

23—(1) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा और विश्वविद्यालय के विकास सम्बंधी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड

	(2) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय।
अन्य प्राधिकरण	24-ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाय, का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय।
संकाय की शैक्षणिक संरचना	25-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर और प्रारम्भ होने से पूर्ववर्ती सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के संकाय और विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रम निरन्तर उसी रूप में संचालित होते रहेंगे। (2) विद्या परिषद और प्रबंध बोर्ड को कोई नया संकाय या विद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय या विभाग सृजित/स्थापित करने की शक्ति होगी।
विश्वविद्यालय के निदेशालय	26-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निदेशालय होंगे जिनके अध्यक्ष सम्बन्धित निदेशक होंगे :-

- (एक) अनुसंधान निदेशालय
- (दो) प्रसार शिक्षा निदेशालय
- (तीन) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
- (चार) बीज एवं प्रक्षेत्र निदेशालय
- (पांच) निदेशालय (विकास)
- (छः) निदेशालय (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)
- (सात) निदेशालय (वित्तीय नियोजन एवं प्रबन्धन)
- (आठ) निदेशालय (स्थापना एवं सम्पत्ति)
- (नौ) निदेशालय (कैम्पस मिनिसट्री)
- (दस) निदेशालय (प्रशासन)
- (ग्यारह) निदेशालय (आन्तरिक गुणवत्ता, मूल्यांकन एवं आश्वासन)
- (बारह) निदेशालय (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)
- (तेरह) निदेशालय (अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण)
- (चौदह) निदेशालय (सहायक इकाईयाँ)
- (पन्द्रह) निदेशालय (पौरोहित्य, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्य)
- (सोलह) निदेशालय (विधिक मामले)

इस अधिनियम और परिनियमावली के अधीन अनुवर्ती रूप में सृजित किसी अन्य निदेशालय, सेवा, नियुक्ति, शक्तियों, कर्तव्यों आदि की समस्त शर्तें विहित की जायेंगी।

परिनियमावली से संबंधित अस्थायी उपबंध

27-विश्वविद्यालय के प्रारम्भ होने पर ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) का संविधान, उसकी उपविधियाँ एवं नियमावली यथा आवश्यक परिवर्तन सहित विश्वविद्यालय के लिए लागू होंगे, जब तक कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड एवं सीनेट द्वारा संशोधित या विखण्डित न कर दिया जाय।

परिनियम

28-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय और समय-समय पर गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के अन्य निकायों का संविधान, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) प्राधिकरणों के सदस्यों के पद का निर्वाचन, नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की शक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले जिनके लिए यह उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों का पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति;

(च) पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबंध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ;

(छ) उपाधियों और डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों (सम्मानार्थ उपाधि) का प्रदान किया जाना;

(झ) संकायों, विभागों, केन्द्रों एवं विद्यालयों की स्थापना किया जाना, सगमेलन किया जाना, उप-खण्ड किया जाना और उनका समापन किया जाना;

(ञ) संस्थानों, महाविद्यालयों, केन्द्रों के संकायों, में अध्यापन विभागों की स्थापना किया जाना तथा सहयुक्त महाविद्यालयों या संस्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(ट) निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें :-

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक एवं शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के अन्य सदस्य।

(दो) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के अन्य सदस्य; और विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारीगण;

(ठ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ड) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा कोई अपील करने की प्रक्रिया;

(ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहनों का संस्थित किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों की स्थापना करना और उसके द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों को समाप्त किया जाना;

(त) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(थ) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अधीन लाया जा सकता है और ऐसी शर्तें जिनके अधीन उक्त विशेषाधिकारों को वापस लिया जा सकता है;

(द) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जाना;

(घ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत स्वीकृत महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के शासी निकायों का गठन किया जाना और ऐसे महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाना;

(न) जिस किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को जिस स्वायत्तशासी सीमा तक स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित किया गया हो उस सीमा तक तत्सम्बन्ध में ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग किया जा सकता है;

(प) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(फ) अन्य सभी विषय जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंधित किया जाना हो या किया जा सकता है;

परिनियमावली बनाने
की शक्ति

29—(1) प्रबन्ध बोर्ड उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमावली बनायेगा :

परंतु प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाली कोई परिनियमावली नहीं बनायेगा और न ही उसमें कोई संशोधन या निरसन करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर विचार न किया गया हो।

(2) प्रत्येक परिनियम पर कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो सहमति दे सकता है अथवा अपनी सहमति को रोक सकता है या इसे अपने द्वारा की गयी टिप्पणियों के आलोक में पुनर्विचार हेतु प्रबंध बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।

(3) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन या निरसन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर कुलाधिपति की सहमति न प्राप्त हो जाय;

परंतु यदि कुलाधिपति प्राप्त संदर्भ के 90 दिन के अन्तर्गत अपना विनिश्चय संसूचित नहीं करता/करती है तब उक्त मामले को सीधे सीनेट को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाया गया परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को इसे कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय अथवा ऐसे पश्चात्तवर्ती दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उसके द्वारा या सीनेट के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

अध्यादेश

30—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय का उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों और डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;

(ग) ऐसी शर्तें जिनके अधीन विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा और वे उपाधियाँ तथा डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिए पात्र होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में निवास हेतु शुल्क, उद्ग्रहीत किया जाना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की मान्यता एवं प्रबंधन;

(च) विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हो, जो महिला छात्रों के निवास, अनुशासन और अध्ययन के लिये किये जा सकते हैं और उनके लिये विशेष पाठ्यक्रम विहित किया जाना;

(छ) उन कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलक्षियाँ जिनके लिये परिनियमावली में उपबंध किया गया हो;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों, एवं संस्थाओं का प्रबंधन;

(झ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थाओं के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ञ) किसी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाने वाला शुल्क;

(ट) ऐसी शर्तें, जिनके अध्याधीन व्यक्तियों को छात्रावासों में अनुदेश देने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया जा सकता है;

(ठ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तें और रीति;

(ड) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक;

(ड) अनुदेश और परीक्षा संचालन का माध्यम;

(ण) अध्ययन केन्द्रों, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(त) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिनमें विद्वत निकाय या संघ सम्मिलित हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(थ) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्तों सहित पारिश्रमिक और भत्ते;

(द) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों का विनियमन तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के छात्रों के आचरण का विनियमन;

(ध) अनाचार की श्रेणियां, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली या अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है; तथा

(न) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंधित किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जा सकता है;

31-इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सैम हिगिंगबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) की उपविधियों को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के रूप में माना जायेगा और उन्हें किसी भी समय प्रबंध बोर्ड द्वारा निरसित या संशोधित किया जा सकता है तथा उनका सीनेट द्वारा यथाविहित रीति से अनुसमर्थन किया जा सकेगा;

प्रथम अध्यादेश

विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या और उसकी प्रास्थिति के आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय की एक समतुल्य समिति होगी।

32-विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने तथा अपने द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन हेतु इस अधिनियम के अनुरूप परिनियमावली द्वारा विहित रीति से विनियम बना सकते हैं।

विनियम

33-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को यथाविहित दिनांक तक प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, सीनेट के समक्ष कुलाधिपति द्वारा अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

34-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उसकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुमयी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अधिक के अन्तराल पर की जायेगी।

लेखा तथा सम्परीक्षा

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों सहित सीनेट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा की गयी टिप्पणियों को सीनेट तथा प्रबंध बोर्ड के संज्ञान में लाया जायेगा और प्रबंध बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् की गयी टिप्पणियों, यदि कोई हो, को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

35-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी किसी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा और ऐसी संविदाएं इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों से असंगत नहीं होंगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा, विश्वविद्यालय में रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

माध्यस्थम अधिकरण

36—(1) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के मध्य किसी संविदा से उठने वाला (विश्वविद्यालय में कार्य पर लगाने हेतु) कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) माध्यस्थम अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि विहित की जाय।

पेंशन या बीमा योजनाएं

37—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी बीमा/पेंशन योजनाएं, जैसा कि वह उचित समझे, यथाविहित रीति से और शर्तों के अधीन उपबंधित कर सकता है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन से सम्बन्धित विवाद

38—(1) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या क्या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, कुलाधिपति के विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में से होने वाली समस्त आकस्मिक रिक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या निकाय, जो ऐसे सदस्यों को नियुक्त करता हो, निर्वाचित करता हो या उन्हें सहयोजित करता हो, जिनके स्थान रिक्त हुए हों, द्वारा सुविधाजनक रूप में यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा और किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए उक्त व्यक्ति, जिसका स्थान व भरता हो, सदस्य रहा हो।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

40—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाहियां उसके सदस्यों के मध्य हुई किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगा/होंगी।

सद्भावना पूर्वक कृतकार्यवाही का संरक्षण

41—इस अधिनियम, परिणियमावली या अध्यादेशों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपेक्षित होने पर सूचनाएं और दस्तावेज मांगे जाने का राज्य सरकार का अधिकार

42—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या विश्वविद्यालय के कब्जाधीन अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप में अनुरक्षित किसी पंजी, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, में की गयी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेजों और पंजी में की गयी प्रविष्टियों की विद्यमानता को प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अन्तर्विष्ट विषयों और व्यवहारों को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य के रूप में ग्रहण होती।

(2) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय व्यवस्थाओं और अन्य कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं या अभिलेखों को राज्य सरकार द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करें।

(3) यदि राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण हो कि अधिनियम या तदधीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबंधनों का उल्लंघन होता है तो वह विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

43-(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी. / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा अन्य परिषदों द्वारा यथा अधिकथित उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के न्यूनतम मानक अनुरक्षित रखेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के न्यूनतम मानक

(2) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यथा प्रयोज्य अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा संसूचित मानकों के अनुसार होंगे।

(3) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसी विहित की जायें।

44-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश को लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नये परिनियम या अध्यादेश को यथाशक्य शीघ्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया जायेगा।

45-(1) विश्वविद्यालय दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को यथा विहित रीति से स्थायी विन्यास निधि का विनिधान करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय, सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तर्गत कर सकता है।

46-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :-

सामान्य निधि

(क) ऐसे समस्त शुल्क, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) संस्थापक सोसाइटी द्वारा किए गए समस्त अंशदान और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्राप्त समस्त अनुदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा इस निमित्त किये गये ऐसे समस्त अंशदान, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के समस्त आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा।

47-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :-

विकास निधि

(क) विकास शुल्क जिन्हें छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) संस्थापक सोसाइटी द्वारा किए गए समस्त अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा इस निमित्त किये गये ऐसे समस्त अंशदान, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो;

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गई समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा अथवा जैसा कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा विनिश्चित किया जाय।

48-धारा 45, 46 एवं 47 के अधीन स्थापित निधियाँ, सीनेट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी और इन्हें ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

निधि का अनुरक्षण

वित्तीय शर्तें

49—विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से मानित विश्वविद्यालय की भांति निरन्तर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त करता रहेगा। किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त करने पर इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि पूर्वोक्त अनुदान सम्बंधित सरकारों के प्राधिकारियों के विवेक के अध्वधीन होंगे।

राज्य सरकार की निधियों का उपयोग

50—विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के लिए स्थानीय निधि (उत्तर प्रदेश सरकार) और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा से नियमित लेखा परीक्षा कराना होगा और उसे राज्य सरकार की नियमावली और दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोगिता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क

51—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क शैक्षणिक कार्यक्रम की इकाई लागत के अनुसार होगा जैसा कि समय-समय पर पुनर्विलोकित, पुनरीक्षित और विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय का विघटन

52—(1) यदि विश्वविद्यालय, अपने संविधान या निगमन को शांशित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो उसे योजना की सूची, दायित्व संविवरण एवं व्यवस्था का विवरण सहित लिखित नोटिस कम से कम छः माह पूर्व राज्य सरकार को देनी होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से विश्वविद्यालय के प्रशासन हेतु तब तक ऐसी व्यवस्था करेगी जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों के अंतिम बैच के छात्र अपना पाठ्यक्रम परिनियमावली/विनियमावली द्वारा यथा विहित रीति से पूर्ण नहीं कर लेते हैं।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

53—(1) विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि तथा विकास निधि से की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय के व्यय को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त न हो तो ऐसी व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निरन्तरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

54—(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, तब वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम न हो, की अवधि में यह कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी परिनियमावली एवं अध्यादेशों के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध और इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों या तदधीन निर्गत किसी निर्देश के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ कहीं राज्य सरकार के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई जाँच संस्थित की जाय, वहाँ वह एक समुचित अधिसूचना जारी करके सीनेट को लम्बित किये बिना जांच की कार्यवाही करेगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, अर्थातः—

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;
- (घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध किया गया है या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय की पूर्ति, स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट निधियाँ, पर्याप्त न हों तो ऐसे व्यय की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करते हुए की जा सकती है।

(8) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि उसे राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाय और राज्य विधानमण्डल के बहुमत से पारित कराया जाय।

55-राज्य सरकार समय-समय पर जैसा कि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामलों में निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश जारी करने की शक्ति

56-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जैसा कि कठिनाईयों के निवारण के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाईयों दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

राज्य के विन्ध्य कृषि जलवायु जोन में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार को विकसित करने के उद्देश्य से इक्यूमेनिकल माइनारिटी क्रिश्चियन सोसाइटी सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिगिनबॉटम हाउस-4, इलाहाबाद द्वारा सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इलाहाबाद स्थापित एवं प्रशासित किया गया। उक्त मानित विश्वविद्यालय में शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंद तथा अन्य आवश्यक अवसरचनात्मक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् इसे राज्य अधिनियम के अधीन उच्चैकृत करने, पुनर्गठित करने और पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किये जाने का विनिश्चय किया गया है जिससे कि राज्य में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं संबंधित विधाओं में उत्तरोत्तर विकास सुनिश्चित किया जा सके।

तदनुसार सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1867 (2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)36-2016

Dated Lucknow, December 27, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sam Higginbottom Krishi, Proudhyogiki Evam Vigyan Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2016.

THE SAM HIGGINBOTTOM UNIVERSITY OF AGRICULTURE, TECHNOLOGY
AND SCIENCES, UTTAR PRADESH

ACT, 2016

(U.P. Act No. 35 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to establish and incorporate a Teaching, Research and Extension University with a view to upgrade and reconstitute the existing Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed-to-be-University), Allahabad, established and administered by the Ecumenical Minority Christian Society namely the Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Higginbottom House, 4-Agricultural Institute, Allahabad-211007, Registered under the Society Registration Act, 1860 in the State of Uttar Pradesh, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and
commencement

1-(1) This Act may be called the Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Uttar Pradesh Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Definitions

2-In this Act, unless the context otherwise requires :-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Appointing Authority" means the Founder Society in the case of Chancellor, the Chancellor in the case of Vice Chancellor and Pro Vice Chancellors, Vice Chancellor in the case of Registrar, Directors, Finance Comptroller and other Key Officials";

(c) "Associated College" means any institution recognized by the University and authorized under the provisions of this Act and Statutes of the University to provide for the teaching necessary for admission to a degree of the University.

(d) "Associations" means Association of Indian Universities (AIU) and Indian Agricultural University Association (IAUA).

(e) "Board of Management" means the Board of Management of the University;

(f) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;

(g) "Campus" means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction, or research, or both;

(h) "The Chancellor", the "Vice-Chancellor", "Pro Vice Chancellor (Academic Affairs)", "Pro Vice Chancellor (Administration)", and "Registrar" mean, respectively, the Chancellor, Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor (Academic Affairs), Pro-Vice Chancellor (Administration) and the Registrar of the University;

(i) "College/School" means an academic institution maintained or admitted by the University to its privileges, and includes an Associated / Constituent College;

(j) "Constituent College" means an institution maintained by the University and named as such by the Statutes;

(k) "Councils" means Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), All India Council for Technical Education (AICTE), National Council for Teacher Education (NCTE), Medical Council of India (MCI) and Nursing Council of India (NCI).

(l) "Deemed-to-be-University" means Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed-to-be-University), Allahabad which may also be referred as Deemed University.

(m) "Department" means a Department of studies, and includes a center of Studies and Research of the University.

(n) "Director" in relation to an institute of the University means head of such institute.

(o) "Directorate" means various Directorates of the University headed by its concerned Director.

(p) "Employee" means any person duly appointed by the University.

(q) "Faculty" means a Faculty of the University;

(r) "Finance Comptroller" means the Finance Comptroller of the University.

(s) "Founder Society" means the Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Higginbottom House, 4 Agricultural Institute, Allahabad, Uttar Pradesh, a Society registered under Society Registration Act, 1860 which is the Apex body managing all activities of the Society including the affairs of the University.

(t) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(u) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;

(v) "Institution" means an academic institution, established and maintained by the University;

(w) "Management Committee" in relation to a college or an institution, means the managing committee or any other body, by whatever name called, charged with the management of the affair of such college or institution, as the case may be, and recognized as such by the University;

(x) "Misconduct" means such misconduct as may be prescribed.

(y) "Notification" means a notification under this Act published in the *Gazette* of the State Government of U.P.;

(z) "Prescribed" means prescribed by the statutes;

(aa) "Principal" means the head of an institution, school, or college and includes, the person for the time being duly appointed to act as principal, and, in the absence of the principal or acting principal, a Vice Principal duly appointed as such;

(ab) "Records and Publications" means the Records and Publications of the University;

(ac) "Registrar" means the Registrar of the University.

(ad) "Senate" means the Senate of the University established by the Founder Society;

(ae) "Statutes" "Ordinances" and "Regulations" means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;

(af) "Student" means a person enrolled in the University under Formal/ Non Formal Education and Distance Education for taking a course of study for a degree, diploma, certificate or other academic distinction duly instituted;

(ag) "Teacher" means a person appointed as teacher by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research or extension programmes.

(ah) "Treasurer" means the treasurer of the Society who shall be the Treasurer of the University.

(ai) "University" means the Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Allahabad Uttar Pradesh established under this Act.

(aj) "Visitor" means the Visitor of the University, who shall be The Governor of Uttar Pradesh.

The University

3-(1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint, there shall be established a University by the name of Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Allahabad, comprising the Visitor, the Chancellor, the Vice-Chancellor, Treasurer, Pro Vice Chancellor (Academic Affairs), Pro Vice Chancellor (Administration), the Registrar, and Finance Comptroller, the Founder Society, the Senate, Board of Management and the Academic Council of the University and all such persons or committees as may hereafter become to be appointed at such office or as members so long as they continue to hold such office or membership;

(2) The University shall be a body corporate.

(3) With effect from the commencement of this Act, the Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University) shall cease to function as such, and all the assets and liabilities of the said Deemed University shall stand transferred to the University.

(4) The Founder Society has allotted 667.27 acres land and sufficient constructed buildings to the Deemed University and it is all in the possession of the Deemed University, which upon the commencement of the Act shall stand transferred to the University as mentioned in Section 3(3) of this Act.

Jurisdiction of the University

4-(1) Save or otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the University shall exercise its powers, shall be whole of Uttar Pradesh with its headquarters at Allahabad with powers to associate any Christian minority Institution within its jurisdiction with the prior approval of the State Government.

(2) No College or institution situated within the jurisdiction of the University shall be compulsorily Associated to the University, and Association shall be granted by the University only to such college or institution as it may agree by the statutes and the ordinances.

(3) The University may with the prior permission of the State Government establish its Academic Centers / Campuses, /offshore campus in order to provide relevant higher /professional education with the concurrence of the concerned Government where it is established.

Conditions for the establishment of the University

5. (1) Subject to any orders which the Board of Management may make with approval of the founder society, the buildings which belonged to the founder society shall continue to be known and designated by the name and style as they were known and designated immediately before the commencement of this Act;

(2) On and from the commencement of this Act every official, Chancellor, Vice-Chancellor, Treasurer, Pro Vice-Chancellor (Academic Affairs), Pro Vice-Chancellor (Administration), Registrar, Directors, Finance Comptroller and other officials, teachers and staff employed immediately before the commencement of this Act, shall hold such employment in the University by the same tenure and on the same terms and conditions and with the same rights and privileges as they had in the Deemed University.

(3) All academic programmes being offered by the Deemed University before the commencement of this Act shall continue as such under this Act.

(4) Anything done or any action including conduct of entrance examination or any degree or other academic distinctions conferred by the Deemed University before the commencement of this Act shall be deemed to have been done or taken or conferred under this Act as if this Act were enforced at all material times.

Starting of the University

6. (1) The University shall start operation only after the State Government issues Notification regarding inception/ incorporation of University under this Act. Upon such notification, the University shall apply to the concerned authority for de-recognition of status of Deemed University.

(2) The State Government shall circulate the inception/ incorporation of the University to the University Grants Commission, councils, associations and all concerned Statutory Bodies, Government and Organizations in this regard.

7. The objects of the University shall be to ;

Objects of the
University

(i) make provisions for the rural masses of Uttar Pradesh and general population as a whole in the different branches of studies particularly Agriculture, Veterinary Science, Engineering, Technology and Sciences, Rural Industry, Business and other allied disciplines, and promote entrepreneurship;

(ii) further the promotion of teaching and research, particularly in Agriculture, Technology and Sciences, Human Health, Religious and Moral Education through Christian Theology and Higher Education Disciplines relevant to holistic development of the Society;

(iii) undertake field and extension programmes;

(iv) innovate in education leading to re-structuring of courses, new methods of teaching and learning, and integral development of personality through distance learning/ continuing education / and e-learning;

(v) conduct study in various innovative disciplines;

(vi) conduct studies, Research and Extension programmes for poverty alleviation, and enhancing food security for the poorest of the poor under the founder's vision "Feed the Hungry and Serve the Land";

(vii) conduct Inter-disciplinary studies and disseminate and advance knowledge by providing instructional, research and extension facilities in such branches of learning as it may deem fit;

(viii) promote national integration, Indian culture and languages and international understanding;

(ix) bring the Christian Community into the main stream and ensure overall development thereof by imparting all modern and higher, professional, theological and spiritual education.

8. (1) The University shall be open to all persons of whatever race, religion, creed, caste or class subject to the provisions in sub-clause (2) of this section.

University open
to all

(2) Nothing in this section shall prevent the University from making any special provision / reservations for the administration, appointments, and admission of students, or persons belonging to Christian Minority Community which can not exceed 50 per cent.

9. The University shall have the following powers :—

Powers of the
University

(i) in addition to Agriculture Education and Research, Engineering, Technology and Sciences, Veterinary Sciences, Humanities and Social Science, and Management, to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(ii) excepting the branches of Agriculture Education, Research, Extension, Sciences, Engineering and Technology, and relevant allied disciplines, the University will obtain no objection for starting new academic programmes in other branches from the State Government, and permission of the concerned statutory councils as may be applicable;

(iii) to promote the study of the philosophy and culture of India;

(iv) to promote educational and cultural advancement of Christians in India, and to provide for the study of Christianity, to give instruction in Christian theology and religion and to impart moral and spiritual training;

(v) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing, on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinction for good and sufficient cause;

(vi) to confer honorary (Honoris Causa) degrees or other distinctions in the manner prescribed by the statutes;

- (vii) to organize and to undertake extra-mural studies and extension services and other measures for the promotion of adult education;
- (viii) to provide, instruction, including Distance Education, and correspondence courses;
- (ix) to cooperate or collaborate or associate with any other University, authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (x) to make provision of research and consultancy and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (xi) to approve persons working in any institution co-operating, collaborating or associating with the University, for imparting instruction or supervising research, or both, and to withdraw such approval;
- (xii) to create teaching and non-teaching posts, research and extension posts required by the University and to appoint persons to such posts;
- (xiii) to appoint persons as Professors, Associate Professors, or Assistant Professors, Lecturers and others as teachers of the University;
- (xiv) to appoint persons as visiting Professor/Scientist, Consultants on such terms as it may deem fit;
- (xv) to build up a body of academia or establish new academic faculties, in order to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;
- (xvi) to provide for the terms and conditions of service of-
 - (a) teachers and other members of the academic staff appointed by the University;
 - (b) teachers and other members of the academic staff appointed by any college or institution; and
 - (c) other employees, whether appointed by the University or any other college or institution;
- (xvii) to appoint persons working in any other University or organization as teachers of the University for a specified period or on regular basis;
- (xviii) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (xix) to make provision for research and advisory services, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (xx) to declare a center, an institution, a College, a Department, a School as an autonomous center, institution, College, or Department or School, as the case may be in accordance with the statutes;
- (xxi) to arrange to send visiting committees to college and institutions at the association stage and also during the period of association at regular intervals;
- (xxii) to coordinate the work of different colleges and institutions working in the same and similar areas;
- (xxiii) to set up central facilities like computer center, instrumentation center, library *etc*;
- (xxiv) to set up curriculum development centers for different subjects;
- (xxv) to prescribe fees for the University, colleges and institutions;
- (xxvi) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (xxvii) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (xxviii) to supervise and control the residential accommodation and to regulate the discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health and welfare;
- (xxix) to make such special arrangements in respect of all women students and students belonging to Christian community as the University may consider desirable;

(xxx) to create administrative, Ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(xxxi) to regulate the work and conduct of the employees of the University and of the employees of the colleges and institutions;

(xxxii) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;

(xxxiii) to prescribe code of conduct for management of Associated Colleges and Institutions and enter into Memorandum of understanding for Association;

(xxxiv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University and those of colleges and institutions;

(xxxv) to receive benefactions, donations and gifts from persons and to name after them such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;

(xxxvi) to acquire, hold and manage movable or immovable property including endowment properties with prior permission of the Founder Society/Senate, for the purposes of the University;

(xxxvii) to borrow with the approval of the Senate and Board of Management, on security of the property of the University, Money for the purposes of the University;

(xxxviii) to initiate measures to enlist the co-operation of the industry to provide complementary facilities for the students;

(xxxix) to provide for instruction through "distance learning" and "open approach" and for mobility of students from the non-formal (open learning) stream to the formal stream and *vice-versa*;

(xl) to prescribe a Code of Ethics for the teachers, Code of conduct for other employees and Code of Discipline for the students; and

(xli) to do all such acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

10. (i) The Visitor of the University shall be the Governor of Uttar Pradesh;

The Visitor

(ii) the Visitor shall have the right to visit the University, its buildings, laboratories and equipment (or of any college) and of any institution maintained by University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University;

(iii) the Visitor may give notice to the University of his intention to cause an inspection to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection;

(iv) the Visitor shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views of the Visitor for action to be taken thereon;

(v) the Board of Management shall communicate through Vice-Chancellor to the Visitor such action as may be taken.

(vi) if the Board of Management has any disagreement with regard to any decision of the Visitor, it shall appeal to the Visitor for the review. And the decision of the Visitor on review appeal, shall be final;

(vii) where power is conferred upon the Visitor to nominate persons to authorities, the Visitor shall to the extent necessary nominate persons to represent the various interests for the furtherance of the objects of the University. The nominees of the Visitor on various committees shall inform the outcomes of the meeting to the Visitor.

Officers of the
University

11- The following shall be the Officers of the University:-

- (a) The Visitor
- (b) Chancellor
- (c) Vice-Chancellor
- (d) Treasurer
- (e) Pro-Vice-Chancellor (Academic Affairs)
- (f) Pro-Vice-Chancellor (Administration)
- (g) Registrar
- (h) Director (Research)
- (i) Director (Extension)
- (j) Director (Establishment & Estate)
- (k) Director (Internal Quality, Assessment & Assurance)
- (l) Director (Innovation, Projects & Consultancy),
- (m) Director (International Education & Training)
- (n) Director (Auxiliary Units)
- (o) Director (Chaplaincy, Guidance & Counseling)
- (p) Director (Legal Affairs)
- (q) Director (Distance Education)
- (r) Director (Development)
- (s) Director (Human Resource Management and Relations)
- (t) Director (Administration)
- (u) Director (Financial Planning & Management)
- (v) Director (Seed & Farm)
- (w) Director (Campus Ministry)
- (x) Finance Comptroller
- (y) Such other officer as may be declared by the statutes to be the officer of the University.

The Chancellor

12. (1) The Chancellor shall be appointed by the founder society from amongst its own members, who by virtue of his/her office shall be the head of the University and preside over the convocations of the University and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes. The Chancellor shall hold office for a period of five years and may be considered by the founder society for appointment for other terms. The Founder Society shall decide honorarium/allowances, etc. to be paid to the Chancellor.

(2) Where power is conferred upon the Chancellor to nominate persons to authorities, the Chancellor shall nominate persons to represent the various interests for the furtherance of the objects of the University. The Chancellor shall visit the University campus from time to time. The nominees of the Chancellor on various committees will send their reports after the respective meetings.

The Vice-
Chancellor

13. (1) The Vice Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor. The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years and renewable for further terms on the recommendation of the Senate up to the age as may be permissible as per norms. In the absence of Vice-Chancellor due to retirement/resignation /illness/leave or any other reason, the Pro-Vice-Chancellor authorized by the Chancellor, shall officiate in his/her place.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic Head of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and implement the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is called for on any matter exercise any power conferred upon any authority of the University under Statutes, the Rules and Regulations/Bye-laws, take such action or proceed to take such action and shall report to the concerned authority on the action taken by him/her on such matters:

Provided that if the authority concerned as mentioned in sub-section (3) is of the opinion that such actions ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(4) The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Board of Management, Academic Council, University Finance Committee, Planning and Monitoring Board or any other committees mentioned or not.

(5) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the Statutes, Ordinances, the Rules, Bye-laws and Regulations of the University are duly observed and implemented and he/she shall have all the necessary powers in this regard.

(6) The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed or laid down in the Ordinances.

14. (1) The Pro-Vice Chancellors as mentioned hereunder shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor and shall assist the Vice-Chancellor in the matters as may be assigned by the Vice Chancellor :-

The Pro-Vice
Chancellor

(a) Pro-Vice Chancellors (Academic Affairs).

(b) Pro-Vice Chancellors (Administration).

(2) The emoluments and other terms and conditions of service of the Pro-Vice Chancellors shall be as may be decided by the Senate.

15. (1) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the University and with the prior approval of the Senate; shall be appointed by the Vice-Chancellor; however, the Vice-Chancellor may also appoint any whole time teacher as Registrar for the interim period. Being a professional university, the Registrar shall be selected from amongst the eminent Educationist/Academicians not below the rank of Associate Professor.

The Registrar

(2) The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

16. (1) As the University has threefold functions, viz. teaching, Research and Extension, there shall be Directors in the University to assist the Vice-Chancellor in the smooth functioning of the University specifically in the areas of Research and Extension. There shall also be Director of Distance Education, and other Directors to assist the Vice-Chancellor in the University management. The Directors shall be appointed by the Vice-Chancellor.

Directors in the
University

(2) The Directors shall exercise such other powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes / Regulations.

17. The Finance Comptroller shall be full time salaried officer of the University and be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Senate and shall work under the supervision and control of the Vice-Chancellor. The Finance Comptroller shall :-

Finance
Comptroller

(a) manage Finances of the University;

(b) preparation of annual budget, estimate and statements for approval of the Treasurer, the Finance Committee and the Board of Management;

(c) Perform such other functions as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

Authorities of the
University

18. The following shall be the Authorities of the University:-

- (i) The Senate;
- (ii) The Board of Management;
- (iii) The Academic Council;
- (iv) The University Finance Committee;
- (v) The Planning and Monitoring Board;
- (vi) Such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

Senate

19. (1) There shall be constituted a Senate of the University. The Senate shall consist of the following members :-

- (i) Chairman, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Allahabad - *Chairperson*
- (ii) Chancellor, Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences - *Vice Chairperson*
- (iii) Vice-Chancellor of Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences - *Member Secretary*
- (iv) President/Bishop or his nominee, Yesu Darbar Church, Allahabad - *Member*
- (v) Vice-President, Yesu Darbar Trust - *Member*
- (vi) Vice-Chairman, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Allahabad - *Member*
- (vii) Executive Secretary, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Allahabad - *Member*
- (viii) Treasurer, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Allahabad - *Member*
- (ix) General Secretary, Yesu Darbar Church - *Member*
- (x) Treasurer, Yesu Darbar Church - *Member*
- (xi) One nominee of the President, Yesu Darbar Church - *Member*
- (xii) Two nominees of the Chairman, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society - *Member*
- (xiii) Two nominees of the Chancellor - *Member*

(2) All the powers of the management of the University shall vest in the Senate; and the appointment of Chancellor, Vice Chancellor, Treasurer, Pro-Vice Chancellors, Directors, Registrar, Finance Comptroller and other Key Officials shall be made by the appointing authority. For such appointments, the Senate shall decide honorarium/salary, etc.

Board of
Management

20. (1) The Board of Management shall be the principal executive body of the University.

The Board of Management shall consist of the following:-

- (i) The Vice-Chancellor - *Chairperson*
- (ii) The Visitor's Nominee - *Member*

(iii)	Treasurer of the Society / University	- Member
(iv)	The Pro Vice-Chancellor (Academic Affairs)	- Member
(v)	The Pro Vice-Chancellor (Administration)	- Member
(vi)	Registrar	- Member Secretary
(vii)	One Faculty Dean (inclusive of Dean, Student Welfare) by rotation for a period of one year, nominated by the Vice-Chancellor	- Member
(viii)	Two nominees of the Chancellor of the University	- Members
(ix)	One nominee of the University Grants Commission	- Member
(x)	One nominee of Govt. of India/Indian Council of Agricultural Research	- Member
(xi)	Principal Secretary / Secretary, or Nominee, Department of Agriculture Education and Research, Govt. of Uttar Pradesh	- Member
(xii)	Principal Secretary / Secretary, or Nominee, Department of Finance, Govt. of Uttar Pradesh	- Member
(xiii)	Director General, Uttar Pradesh Council of Agricultural Research, or nominee	- Member
(xiv)	One representative from amongst the Professors by rotation for one year to be nominated by the Vice Chancellor	- Member
(xv)	Principal Secretary / Secretary or nominee Department of Minority Welfare, Govt. of U.P.	- Member
(xvi)	Two nominees of the Senate	- Members
(xvii)	Three nominees of the Society, Sam Higginbottom Educational and Charitable Society	- Members
(xviii)	Two Representatives of Yesu Darbar Church	- Members
(xix)	Director (Research)	- Ex-Officio Members
(xx)	Director (Extension)	- Ex-Officio Members
(xxi)	Director Human Resource Management and Relations (H.R.M, and R)	- Ex-Officio Members
(xxii)	Director (University Development)	- Ex-Officio Members
(xxiii)	Director (Financial Planning and Management)	- Ex-Officio Members
(xxiv)	Director (Innovation, Project and Consultancy)	- Ex-Officio Members
(xxv)	Director (Administration)	- Ex-Officio Members
(xxvi)	Finance Comptroller	- Ex-Officio Members
(xxvii)	One Director from the remaining Directors to be nominated by the Vice-Chancellor on year to year basis.	- Ex-Officio Members

The Academic
Council

(2) The constitution of the Board of Management, the such term of office of its members and its powers and duties shall be as may be prescribed.

21. (1) The Academic Council shall be in charge of the academic affairs of the University and subject to the Statutes and the provisions of this Act, shall have the control and general regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education and examination and for the requirements for obtaining degrees and diplomas, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The Academic Council shall consist of the following:—

- | | | |
|--|---|--------------------|
| (i) The Vice-Chancellor | - | <i>Chairperson</i> |
| (ii) The Pro-Vice-Chancellor (Academic Affairs) | - | <i>Member</i> |
| (iii) The Pro-Vice-Chancellor (Administration) | - | <i>Member</i> |
| (iv) Registrar | - | <i>Secretary</i> |
| (v) Director (Research) | - | <i>Member</i> |
| (vi) Director (Extension) | - | <i>Member</i> |
| (vii) Director (Distance Education) | - | <i>Member</i> |
| (viii) Director (Innovation, Project & Consultancy) | - | <i>Member</i> |
| (ix) Director (Human Resource Management and Relations) | - | <i>Member</i> |
| (x) One nominee of the Director General, U.P. Council of Agricultural Research | - | <i>Member</i> |
| (xi) Directors of Campuses | - | <i>Members</i> |
| (xii) Faculty Deans, School/College Deans and Dean Student Welfare | - | <i>Members</i> |
| (xiii) Heads of Departments | - | <i>Members</i> |
| (xiv) One Professor and one Associate Professor other than Heads from each School/College by rotation for a period of one year | - | <i>Members</i> |
| (xv) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor | - | <i>Members</i> |
| (xvi) Three co-opted members by the Academic Council who are not the members of the teaching staff of the University | - | <i>Members</i> |
| (xvii) Examination Controller | - | <i>Member</i> |

(3) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

Finance
Committee

22. (1) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed

(2) The Finance Committee shall consist of the following:—

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| (1) The Vice-Chancellor | - | <i>Chairperson</i> |
| (2) Treasurer of the Society / University | - | <i>Member Secretary</i> |
| (3) The Pro-Vice-Chancellor (Academic Affairs) | - | <i>Member</i> |
| (4) The Pro-Vice-Chancellor (Administration) | - | <i>Member</i> |

- | | |
|---|----------------------|
| (5) Registrar | - Member |
| (6) Director (Financial Planning & Management) | - Member |
| (7) Finance Comptroller | - Member |
| (8) Deputy Finance Comptrollers | - Members |
| (9) Two members nominated by the senate | - Members |
| (10) Director (University Development) | - Ex-Officio Members |
| (11) Director (Research) | - Ex-Officio Members |
| (12) Director (Extension) | - Ex-Officio Members |
| (13) Director (Human Resource Management and Relations) | - Ex-Officio Members |
| (14) Director (Innovation, Projects & Consultancy) | - Ex-Officio Members |
| (15) Director (Administration) | - Ex-Officio Members |
| (16) One Director to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of one year. | - Ex-Officio Members |
| (17) Principal Secretary/ Secretary or nominee, Department of Agricultural Education and Research, Government of U.P. | - Ex-Officio Members |
| (18) One Representative of Indian Council of Agricultural Research (Government of India) | - Ex-Officio Members |
| (19) One Financial Expert nominated by the Chancellor | - Ex-Officio Members |
| (20) One Financial Expert nominated by the Vice-Chancellor | - Ex-Officio Members |

23. (1) The Planning and Monitoring Board shall be the principal Planning Body of the University and shall be responsible for the monitoring of the development programmes of the University. The Planning and Monitoring Board

(2) The constitution, powers and functions of the Planning and Monitoring Board shall be such as may be prescribed.

24. The constitution, powers and functions of the other authorities, which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed. Other Authorities

25. (1) On and from the commencement of this Act the faculties and ongoing academic programmes of the erstwhile the "Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences, (Deemed University)" shall continue to be the faculties and ongoing academic programmes of the University. Academic Structure of the Faculty

(2) The Academic Council and Board of Management shall have power to create and establish any new faculty or a school or an institute or a college or a department.

26. The following shall be the Directorates of the University to be headed by concerned Director:- The Directorates of the University

- (i) Directorate of Research;
- (ii) Directorate of Extension Education;
- (iii) Directorate of Distance Education;
- (iv) Directorate of Seed & Farm

- (v) Directorate (Development);
- (vi) Directorate (Human Resource Management and Relations);
- (vii) Directorate (Financial Planning & Management);
- (viii) Directorate (Establishment and Estate);
- (ix) Directorate (Campus Ministry);
- (x) Directorate (Administration);
- (xi) Directorate (Internal Quality, Assessment & Assurance);
- (xii) Directorate (Innovation, Projects & Consultancy);
- (xiii) Directorate (International Education & Training);
- (xiv) Directorate (Auxiliary Units);
- (xv) Directorate (Chaplaincy, Guidance & Counseling);
- (xvi) Directorate (Legal Affairs);

Any other Directorate subsequently created under this Act and Statutes.

All conditions of service, appointment, powers, duties *etc.* shall be prescribed.

Transitory
provisions
regarding Statutes

27. On the commencement of the University the constitution of the Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University), bye-laws and rules in force immediately before such commencement, shall *mutatis mutandis* apply to the University unless amended or rescinded by the Board of Management and Senate of the University.

Statutes

28. Subject to the provision of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the University and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the election, appointment and continuance in office of the members of the authorities, filling of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities, for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the designation, manner of appointment powers and duties of the officers of the University;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic staff and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic staff working in any other University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provision for pension, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;

(g) the institution of degrees and diplomas/certificates;

(h) the conferment of honorary degrees (Honoris Causa);

(i) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of faculties, Departments, Centers and Schools;

(j) the establishment of Institutes, Colleges, Centers, Departments of teaching in the faculties and recognizing associated Colleges or Institutes;

(k) the terms and conditions of service of the:—

I. teachers and other members of the academic staff appointed by the University;

II. teachers and other members of the academic staff appointed by any college or institution, and other employees whether appointed by the University or any college or institution;

(l) the principles governing the seniority of employees of the University, Colleges and institutions;

(m) the procedure for any appeal by an employee of the University;

(n) Institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes and other incentives;

(o) the establishment and abolishment of hostels maintained by the University;

(p) Maintenance of discipline among the employees of the University, and the employees of colleges and institutions;

(q) the conditions under which colleges and institutions may be admitted to the privileges of the University and the conditions under which such privileges may be withdrawn;

(r) Management, supervision and inspection of colleges and institutions established and maintained by the University or colleges and Institutions associated with the University;

(s) Constitution of governing bodies of colleges and institutions admitted to the privileges of the University and the supervision and inspection of such colleges and institutions;

(t) the extent of the autonomy which a college or institution declared as an autonomous college or institution may have and the matter in relation to which such autonomy may be exercised;

(u) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;

(v) all other matters which by this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes.

29. (1) The Board of Management shall for carrying out the purposes of the Act shall make Statutes:

Power to make Statutes

Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Management, has been considered by the Board of Management.

(2) Every Statute shall require the approval of the Chancellor, who may assent or withhold his/her assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations made by him/her.

(3) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor :

Provided that if the Chancellor does not convey his decision within ninety days of the reference received by him/her, then the matter shall be directly referred to the Senate.

(4) A Statute made by the Board of Management shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him/her or by the Senate.

30. Subject to the provisions of this Act, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

Ordinances

(a) the admission of students to the University and their enrollment as such;

(b) the course of study to be laid down for all degrees and diplomas and certificates of the University;

(c) the condition under which students shall be admitted to the degrees, diploma, certificate or other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for the award of degrees and diplomas;

(d) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in hostels maintained by the University;

(e) the recognition and management of hostels not maintained by the University;

(f) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them;

(g) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the statutes;

(h) the management of colleges and institutions maintained by the University;

(i) maintenance of discipline among the students of the University, college and institutions;

(j) the fees which may be charged by the University for any purpose;

(k) the conditions subject to which persons may be recognized as qualified to give instruction in hostels;

(l) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies; examiners and moderators;

(m) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(n) the medium of instruction and the conduct of examinations;

(o) the establishment of centers of studies, inter-disciplinary studies, special centers, specialized laboratories and other committees;

(p) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations;

(q) the remuneration and allowances, including traveling and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;

(r) regulation of the conduct and duties of the employees of the University, colleges and institutions, and regulation of the conduct of the students of the University and of colleges and institutions;

(s) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances; and

(t) any other matter which, by this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.

First Ordinance

31. The bye-laws of the Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University) in force immediately before the commencement of this Act shall be deemed to be the first ordinance of the University and may be repealed or amended at any time by the Board of Management and ratified by the Senate in such manner as may be prescribed.

There shall be an equivalence committee of the University to recognize the degrees of other Universities on the basis of University syllabus and status.

Regulations

32. The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them.

33. (1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.	Annual Report
(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor by such date as may be prescribed.	
(3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1) shall be submitted to the Senate by Chancellor with its comments if any.	
34. (1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and shall, once at least every year and at interval of not more than fifteen months, be audited by experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.	Accounts and Audits
(2) A Copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Senate and the Chancellor along with the observations of the Board of Management.	
(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Senate and the Board of Management and the observations, if any, shall after review by the Board of Management, be submitted to the Chancellor.	
35. (1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract and such contracts shall not be inconsistent with the provisions of this Act, Statutes and the Ordinances made thereunder.	Conditions of Service of Employees
(2) The contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the employee concerned.	
36. (1) Any dispute arising out of a contract (for job in the University) between the University and any employee of the University shall on the request of the employee be referred to a tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and a umpire to be nominated by the Chancellor;	Tribunal of Arbitration
(2) The decision of the Tribunal shall be final;	
(3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of Arbitration shall be such as may be prescribed.	
37. The University may for the benefit of its employees provide such insurance/pension schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.	Pension or Insurance schemes
38. (1) If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor for decision.	Disputes as to the constitution of the University authorities and bodies
(2) A person aggrieved by the decision of Chancellor may prefer an appeal to the Visitor within thirty days of the decision of the Chancellor and the Visitor's decision shall be final.	
39. All the casual vacancies among the members (other than <i>ex-officio</i> members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.	Filling up of casual vacancies
40. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.	Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies

Protection of action
taken in good faith

41. No suit or legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Right of the State
Government to ask
for information and
documents as and
when required

42. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University, or other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

(2) It shall be the duty of the University or any authority or officers of the University to furnish such information or records relating to the administration or finances and other affairs of the University as the State Government may call for.

(3) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the provisions of the Act or the Statutes or Ordinances made there under may issue such directions to the University as it may deem necessary.

Minimum Standards
of U.G.C./I.C.A.R.

43. (1) The University shall maintain minimum standard of Higher and Professional Education as laid down by the University Grants Commission (U.G.C.)/Indian Council of Agricultural Research (I.C.A.R.) and other Statutory Councils, from time to time.

(2) The minimum qualifications for appointment of teachers will be in accordance with the norms communicated by the Indian Council of Agricultural Research / University Grants Commission and other statutory councils as may be applicable.

(3) The service conditions of teaching and non-teaching staff shall be such so may be prescribed.

Publication of
Statutes, and
Ordinances

44. (1) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be made available in writing.

(2) Each new Statute or Ordinance made under this Act shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.

Permanent
Endowment Fund

45. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of Ten Crore rupees.

(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

General Fund

46. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited:-

(a) all fees which may be charged by the University;

(b) all sums received from any other sources;

(c) all contributions made by the Founder Society; and all grants received from State Government/ Central Government and I.C.A.R.

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

47. (1) The University shall also establish a development fund to which following moneys shall be credited:-	Development Fund
(a) development fees, which may be charged from students;	
(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;	
(c) all contributions made by the Founder Society;	
(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and	
(e) all incomes received from the permanent endowment fund.	
(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University or as decided by the Finance committee of the University.	
48. The funds established under section 45, 46 and 47 shall be subject to general supervisions and control of the Senate and it shall be regulated and maintained in such manner as may be prescribed by the Statutes.	Maintenance of Fund
49. The University shall continue to receive all the Government grants as received by the Deemed University from the Department of Agriculture Education & Research, Government of Uttar Pradesh. The University receiving grants from any other source shall not be adversely affected under this Act. However, aforesaid grants shall be subject to the discretion of authorities of concerned Governments.	Financial Condition
50. The University will have regular audits of Local Fund (Government of U.P.), and Accountant General Audit for the funds received from State Government and submit its utilization of funds as per rules and guidelines of the State Government.	Utilization of State Government Funds
51. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with the unit cost of academic program shall be such as may be reviewed, revised and prescribed from time to time.	Fees
52. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation shall give atleast six months written notice to the State Government along with a schedule of plan, details of Liability disbursement and arrangements.	Dissolution of University
(2) On the receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangement for Administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the Statutes/Regulation.	
53. (1) The Expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund.	Expenditure of the University during dissolution
(2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.	
54. (1) Where the State Government is satisfied that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than two months, as to why the University should not be de-recognized.	Derecognition of the University by the State Government
(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1) the State Government is satisfied that a <i>prima facie</i> case of mismanagement or violation of the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances made thereunder, it shall order such enquiry as it deems necessary.	

(3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into and report upon the allegations of mismanagement and violation of the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder.

(4) Wherever according to the State Government any enquiry is to be instituted with regard to the affairs of the University it shall proceed for enquiry without suspending the senate by issuance of an appropriate notification.

(5) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall, while performing its functions under this Act have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matter, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him/her on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits;
- (e) any other matter which may be prescribed.

(6) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has been mismanaged or has violated provisions of this Act, the State Government shall issue notification regarding the derecognition of the University.

(7) Under sub-section (6), the expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund. If the funds referred to above are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.

(8) Prior to the issuance of any notification under sub-section (6) it shall necessarily be placed before both the houses of the State Legislature and shall have to be passed with majority by the State Legislature.

55. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

56. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official *Gazette*, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

Power of the State Government to issue direction on policy matters
Power to remove difficulties

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to developing agricultural education, research and extension in the Vindhyan Agro Climatic Zone of the State, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (Deemed University), Allahabad was established and administered by the Ecumenical Minority Christian Society, the Sam Higginbottom Educational and Charitable Society, Higginbottom House, 4-Agricultural Institute, Allahabad. After considering the adequate availability of teaching / non-teaching staff and other essential infrastructure facilities in the said Deemed University, it has been decided to upgrade, reconstitute and establish it as a full fledged University under the State Act so as to ensure successive development of agricultural education, research, extension, science, technology and other disciplines in the State.

The Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Uttar Pradesh Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 699 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(1543)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 119 सा० विधायी-2016-(1544)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।